सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

संख्या - 16 राँची, बुधवार

21 जून, 2017 (ई०)

विषय-सूची

	पृष्ठ		पृष्ठ
भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	407-416	**भाग-4**–झारखण्ड अधिनियम	
भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।		**भाग-5**–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।	
भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।		**भाग-7**–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।	
भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।		**भाग-8-** भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा		**भाग-9-** विज्ञापन	---
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।		**भाग-9-क**–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	
भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।		**भाग-9-ख**–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।	
		पूरक-- ...	...
		पूरक "अ" ...	...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

20 अक्टूबर, 2016

विषय:- मुख्यमंत्री दाल-भात योजनान्तर्गत संचालित दाल-भात केन्द्रों के अतिरिक्त मोबाईल किचन के संचालन की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या:- खा॰ 02/मो॰कि॰'01/16 - 4231-- राज्य में गरीब व्यक्तियों को एक समय का भरपेट भोजन कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दाल-भात योजना चलाई जा रही है। राज्य में शहरी/नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर कुल स्वीकृत 375 दाल-भात केन्द्रों में मात्र 5.00 रूपये में दाल-भात के साथ चना/सोयाबीन बड़ी की सब्जी दी जाती है। यह केन्द्र शहर के भीड़-भाड़ के क्षेत्रों यथा अस्पताल, बस स्टैण्ड, बाजार, इत्यादि तथा प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित हैं। इसी योजना के तत्वाधान में मोबाईल किचन की व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

2. राज्य के शहरी/नगर पंचायत क्षेत्र में संचालित दाल-भात केन्द्र प्रति जिला 3-11 की संख्या में अवस्थित हैं। इनके अतिरिक्त भी अन्य कई स्थल हैं, जहाँ अनुदानित दर पर भोजन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, किन्तु स्थाई दाल-भात केंद्र स्थापित करना संभवतः आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा। साथ ही अत्यधिक संख्या में स्थाई केन्द्र खोलने से योजना का उचित अनुश्रवण भी दुष्कर कार्य है। इसी पृष्ठभूमि में मोबाईल किचन की परिकल्पना की गई है।

3. राज्य के बड़े शहरों में निम्न आय वर्ग के (यथा दिहाड़ी मजदूर, मिस्त्री, रिक्शावाला, कुली, बढ़ई, मोची इत्यादि) व्यक्ति बड़ी संख्या में स्थाई/अस्थाई प्रवास करते हैं एवं इनके लिए प्रतिदिन दाल-भात केन्द्रों पर जाना संभव नहीं हो पाता है। आवश्यक है कि कार्यस्थल के निकट ही उन्हें अनुदानित भोजन उपलब्ध कराया जाय। अतः मुख्यमंत्री दाल-भात योजनान्तर्गत संचालित दाल-भात केन्द्रों के अतिरिक्त सर्वप्रथम राँची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका एवं पलामू जिला मुख्यालयों में मोबाईल किचन के माध्यम से व्यापक दायरे में दाल-भात उपलब्ध कराया जायेगा। भविष्य में आवश्यकतानुसार जिलों से प्राप्त माँग के अनुसार इसे अन्य जिलों/ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा विस्तारित किया जायेगा।

4. प्रथम चरण में राँची, धनबाद एवं जमशेदपुर में दो-दो तथा दुमका एवं पलामू में एक-एक वाहन चलाए जायेंगें, जिनकी संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जायेगी। वाहन का क्रय DGS&D दरों पर (यदि उपलब्ध हो)/निविदा तथा वाहनों का Fabrication निविदा के माध्यम से स्थानीय उपायुक्त/निदेशक, खाद्य द्वारा किया जायेगा । उपायुक्त/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड द्वारा चयनित मोबाईल किचन संचालकों के चयन से संबंधित विस्तृत सूचना स्वीकृति हेतु विभाग को दी जायेगी, तत्पश्चात् ही वाहन का क्रय किया जायेगा।

5. मोबाईल किचन स्थानीय उपायुक्त/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय द्वारा पारदर्शी तरीके से चयनित महिला स्वयं सहायता समूह/गैर सरकारी संस्थान/निजी कम्पनी द्वारा संचालित किए जाऐंगे। मोबाईल किचन के परिचालन का समय, दूरी एवं मार्ग जिला के उपायुक्त द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

6. संचालक द्वारा चालक की व्यवस्था दैनिक मजदूरी के आधार पर की जायेगी, जिसकी प्रतिपूर्ति श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर पर चालक की उपस्थिति के आधार पर की जायेगी। सम्पूर्ण ईंधन की व्यवस्था एवं अग्रेत्तर मरम्मती संचालकों के निजी स्रोत से की जाएगी। ईंधन की राशि की प्रतिपूर्ति आपूर्ति परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दर/वित्त विभाग के प्रावधान के आलोक में की जायेगी एवं मरम्मति की राशि की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय के आधार पर नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाकर की जायेगी। वाहन संचालन पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति उपायुक्त के सहमति से जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

7. प्रत्येक मोबाईल किचन द्वारा प्रतिदिन 300 व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति 5/- रूपये की दर से दाल, भात एवं सोयाबीन बड़ी/चना की सब्जी खिलाया जायेगा। दाल-भात केन्द्रों की भाँति मोबाईल किचन संचालकों को भी 1/- रूपये प्रति किलो चावल (प्रति वाहन 60 किलो प्रतिदिन) एवं मुफ्त सोयाबीन बड़ी/चना (प्रति वाहन 3.5 किलो प्रति दिन) उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिकत आलू, दाल, सब्जी इंधन, तेल, नमक, इत्यादि वस्तुओं की व्यवस्था संचालकों द्वारा स्वयं की जाएगी। आलू आदि सब्जी के साथ सप्ताह में चार दिन चना एवं तीन दिन सोयाबीन बड़ी दाल भात के साथ खिलाया जाएगा। संचालक विभाग की अनुमति के बिना कोई अन्य खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं करेंगे।

8. संचालकों को चावल, चना एवं सोयाबीन बड़ी की आपूर्ति उपायुक्त द्वारा जिला स्तरीय निविदा के माध्यम से की जायेगी।

9. वाहन संचालन (चालक की मजदूरी, ईंधन एवं मरम्मति आदि) पर लगभग 500/- (रूपये पाँच सौ) प्रतिदिन प्रति वाहन की दर से व्यय किया जायेगा।

10. मोबाईल किचन के संचालन पर होने वाला व्यय का वहन मुख्यमंत्री दाल-भात योजना में प्राप्त बजटीय उपबंध से किया जाएगा।

11. जिला के उपायुक्त नोडल पदाधिकारी के रूप में निरीक्षण का कार्य करेंगे तथा अपर समाहर्ता आपूर्ति, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन की देख-रेख में इन केन्द्रों के अनुश्रवण की व्यवस्था की जाऐगी ताकि भोजन की मात्रा साफ-सफाई आदि सुनिश्चित की जा सके।

12. मोबाईल किचन केन्द्रों को योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सामग्रियों का आवंटन पंजी संधारित की जाएगी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक माह उपायुक्त के हस्ताक्षर से विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। केन्द्रों पर लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का व्यौरा (नाम, पता एवं हस्ताक्षर आदि) भी संधारित किया जाएगा एवं प्रत्येक माह लाभान्वित व्यक्तियों के प्रतिदिन की वास्तविक संख्या का वांछित प्रतिवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

13. केन्द्रों के संचालन की निगरानी Online Monitoring व्यवस्था के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन तथा उद्देश्यों की पूर्ति का evaluation भी करवाया जाएगा।

14. भोजन की गुणवत्ता तथा Hygiene सुनिश्चित करने हेतु उपायुक्तों द्वारा समुचित प्रबंध किया जाएगा।

15. इस व्यवस्था के अन्तर्गत विभाग द्वारा योजना की राशि का आवंटन जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया जायेगा।

16. राशि की निकासी बजट शीर्ष 3456-सिविल पूर्ति/उपशीर्ष-23-मुख्यमंत्री दाल-भात योजना के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा। संबंधित जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

17. उपर्युक्त पर योजना प्राधिकृत समिति की सहमति प्राप्त है।

18. वाहन क्रय के प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

19. इस संबंध में पूर्व में निर्गत संकल्प ज्ञापांक 4081, दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 को विलोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

29 मई, 2017

संख्या-सा०प्र०स०-02/2017-1027/वि०स०-- एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा ने श्री साईमन मराण्डी,स०वि०स० को अधिसूचना निर्गत होने के तिथि से सामान्य प्रयोजन समिति का सभापति वर्ष-2017-18 की शेष अवधि के लिए मनोनीत किया है | समिति के शेष सदस्य यथावत रहेंगे |

एतद विषय सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या- 823 दिनांक 1 अप्रैल, 2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय |

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से,

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची |

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

30 मई, 2017

संख्या-2/राज.स्था.(ACP/MACP)-61/16-2673(2)/रा.,-- राज्यकर्मियों को ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्तीय विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-**5207/**वि०, दिनांक **14 अगस्त, 2002** तथा एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-**2981/**वि०,दिनांक **1 सितम्बर, 2009,** पत्रांक-**1117/**वि. दिनांक **3 जून, 2011** एवं संकल्प सं०-**1779/**वि., दिनांक **21 मई, 2014** में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत निम्नलिखित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को एम.ए.सी.पी. अंतर्गत सम्वर्गीय पद पर योगदान की तिथि से **20** वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने स्तंभ **4** में उल्लेखित वेतनमान एवं तिथि से **2nd MACP** की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्र.	**नाम/पदनाम**	**नियुक्ति की तिथि**	**अनुशंसित वित्तीय उन्नयन की तिथि/वेतनमान**
1	**2**	**3**	**4**
1	श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू ।	**09.11.1989**	**2nd MACP, 09.11.2009** के प्रभाव से वेतनमान- **9300-34800,** **GP-4800.00** में

2. यह वित्तीय उन्नयन पूर्णतः औपबंधिक है और निम्नांकित शर्त के अधीन देय हैः-

I. **ACP** योजना दिनांक **9 अगस्त, 1999** से प्रभावी है, किन्तु इसके अंतर्गत वित्तीय लाभ दिनांक **15 नवम्बर, 2000** से देय होगा ।

II. यह वित्तीय उन्नयन विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत होगा**,** जिसका वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा । तद्नुसार संवर्ग में कनीय कर्मी को **ACP** योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ देय नहीं होगा ।

III. उक्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटियाँ पाई जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त **ACP/MACP** योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी ।

IV. वित्तीय विभाग के संकल्प संख्या-**1779/**वि.**,** दिनांक **21 मई, 2014** की कंडिका **5(V)** के आलोक में वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन निर्धारण का सत्यापन होने के उपरान्त ही वित्तीय उन्नयन का लाभ देय होगा । वेतन निर्धारण का सत्यापन उक्त संकल्प की कंडिका-**5(vii)** में निहित प्रावधान के अनुरूप किया जाएगा ।

V. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

VI. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से**,**

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

1 जून, 2017

संख्या-9/आरोप-राँची-69/2017-2716/रा०,-- प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची द्वारा किए गए निरीक्षण के उपरांत समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में श्री अनिल कुमार सिंह, झा.प्र.से., अंचल अधिकारी, हेहल अंचल की सेवा तत्काल प्रभाव से कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को वापस की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

8 जून, 2017

संख्या-9/आरोप-हजारीबाग-21/2017-287/रा०,-- प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा श्री मिथिलेश दूबे, जिला अध्यक्ष, जिला काँग्रेस निगरानी समिति, हजारीबाग के शिकायत पत्र पर अपने पत्रांक-**297,** दिनांक **5 अप्रैल, 2013** द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया । जाँच प्रतिवेदन में श्रीमती मेरी अन्ना टोप्पो, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग के विरूद्ध लगभग एक वर्ष तक सतगावाँ एवं प्रतापपुर शिविरों के लिए कार्यवाही को लंबित रखने तथा अचानक पत्थलगड्डा एवं गिद्धौर में शिविर प्रारंभ करने के लिए आदेश देने तथा उक्त आदेश के पूर्व हीं प्रश्नगत दोनों शिविरों में उजरत भोगी अमीनों की नियुक्ति के आरोपों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी ।

उक्त के क्रम में बंदोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग के पत्रांक-74-I दिनांक **6 अप्रैल, 2017** द्वारा श्रीमती टोप्पो का स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया एवं श्रीमती टोप्पो के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाते हुए उन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी ।

. प्रश्नगत मामले में प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, श्रीमती टोप्पो के स्पष्टीकरण एवं बंदोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग के मंतव्य की सम्यक समीक्षोपरांत श्रीमती मेरी अन्ना टोप्पो, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग को दोष मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

8 जून, 2017

संख्या-2/राज. स्था. शक्ति प्रदत्त-03/2017-2858/रा.,-- श्री पवन कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा को उनके कार्यों के अतिरिक्त जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, **2013 ("The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act-2013")** की धारा **3(g)** के तहत समाहर्त्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है ।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्त्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

उनके वर्त्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 16--50 ।